

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 298 /2021 दिनांक :27.01.2021

श्रीमती रेखा राठौड़ (RJ0311), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता को दिनांक 05.11.2020 से 06.11.2020 तक 02 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती राठौड़ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/15/2000/ 693

दिनांक :27.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता को उनके पत्रांक 02 दिनांक 18.01.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रेखा राठौड़ (RJ0311), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेड़ता ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता ।



सहायक रजिस्ट्रार